हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में अंकित गुर्जर की मौत की जांच सीबीआई को सौंपी

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के कैदी अंकित गुर्जर की कथित हत्या के मामले की जांच बुधवार को सीबीआई को सौंपते हुए कहा कि उसने हिरासत में हुई हिंसा के कारण अपनी जान गंवा दी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने तिहाड़ जेल में अंकित की मौत की घटना की जांच सीबीआई से करने के लिए गुर्जर के परिवार की याचिका पर निर्देश दिया। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि मामले की फाइल दिल्ली पुलिस से सीबीआई को भेजने और केंद्रीय एजेंसी को 28 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख से पहले स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि जेल की दीवारें कितनी भी ऊंची हो लेकिन जेल की नींव कानून की व्यवस्था पर टिकी है जिसमें भारत के संविधान में दिए उसके कैदियों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। यह अंकित गुर्जर के इन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है जिसने तिहाड़ जेल में हिरासत में हुई हिंसा के कारण जान गंवा दी, जिसकी वजह से अंकित गुर्जर की मां, बहन और भाई याचिकाकर्ता गीता, शिवानी और अंकुल को मौजूदा रिट याचिका दायर करनी पड़ी।

अदालत ने कहा कि अगर जेल में वसूली के परिवार के आरोप सही हैं तो यह बहुत गंभीर अपराध है जिसकी गहरायी से जांच होनी चाहिए।

खास बात

- मामले की फाइल दिल्ली पुलिस से सीबीआई को भेजने और केंद्रीय एजेंसी को 28 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख से पहले स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

मृतक की बर्बर तरीके से पिटायी की गयी और उसे इलाज भी नहीं दिया गया

अदालत ने कहा कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जेल अधिकारियों की इस "कहानी को झुठलाती है कि एक झड़प हुई थी जिसमें उपाधीक्षक और गुर्जर दोनों को चोटें आयी थीं। आदेश में कहा गया है कि यह साफ है कि मृतक की बर्बर तरीके से पिटायी की गयी और उसे इलाज भी नहीं दिया गया। न केवल नरेन्द्र मीणा (डीएस) और अन्य ने मृतक से निर्दयीता से मारपीट की बल्कि जेल के डॉक्टर ने भी अपनी ड्यूटी नहीं निभायी जब उन्होंने रात में एक बजे अंकित की जांच की और उसे इंजेक्शन लगाया क्योंकि डॉक्टर ने अंकित की हालत के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित नहीं किया और न ही उसे अस्पताल भेजा। अदालत ने कहा कि यह कल्पना से परे हैं कि जेल के डॉक्टर ने मृतक के शरीर पर आयी कई चोटों को नहीं देखा। मृतक की बर्बर तरीके से पिटायी के अपराध की ही जांच की आवश्यकता नहीं है बल्कि सही वक्त पर उचित इलाज मुहैया नहीं कराने में जेल के डॉक्टरों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि डीआईजी (जेल) उपाधीक्षक की मिलीभगत/ढिलाई पर गौर करने में नाकाम रहे जिन्होंने स्थानीय पुलिस को तीन-चार अगस्त की मध्यरात्रि पर मृतक की पिटायी के संबंध में पीसीआर पर मिली सूचना की जांच के लिए स्थानीय पुलिस को जेल के भीतर नहीं जाने दिया। दिल्ली पुलिस से जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध करने वाली याचिका में मृतक कैदी के परिवार ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारी गुर्जर को प्रताड़ित कर रहे थे क्योंकि वह पैसों के लिए रोज बढ़ रही उनकी मांग को पूरी नहीं कर पाया था और उसकी पूर्व नियोजित षडयंत्र के तहत हत्या कर दी गयी।

खबर संक्षेप

जीजा को समझाने गए साले पर चाकू से हमला

नई दिल्ली। जाफराबाद थाना इलाके में जीजा को समझाना साले को भारी पड़ गया। जीजा ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल का नाम चंद्र (42) है। आरोपी ने उसके हाथ व कमर में चाकू से हमला किया। पुलिस ने चंद्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक, चंद्र, गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में सपरिवार रहता है। वह सेटरिंग का काम करता है। सोमवार रात को वह अपनी मौसी के घर आया हुआ था। इस दौरान उसकी मौसी की बेटी गीता भी घर पर मौजूद थी। उनकी मौसी ने कहा कि गीता का पति मुकेश उसे बहुत परेशान करता है। जिसके चलते करीब छह माह से यहां पर रह रही है। तुम उसे समझाते क्यों नहीं, ताकि वह गीता को परेशान न करें।

युवक को चाकू मारने वाले दो पकड़े

नई दिल्ली। संगम विहार थाना इलाके में जन्माष्टमी के दिन युवक को चाकू मार फरार चल रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम रोशन और गौतम है। पुलिस ने इनके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि गत सितंबर की दोपहर लगभग एक बजे कांस्टेबल सुनील इलाके में गश्त कर रहे थे। तभी आई ब्लॉक रामलीला ग्राउंड के पास एक संदिग्ध युवक दिखाई पड़ा। जो पुलिस वाले को देख कर भागने की कोशिश कर रहा था, मगर कॉन्स्टेबल ने धर दबोचा।

10 पोस्टपेड सिम जारी करवाकर की थी पौने दो करोड़ की ठगी

टेलीकॉम कंपनी को करोड़ों का चूना लगाने का आरोपी हुआ गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नामी टेलीकॉम कंपनी को पौने दो करोड़ का चूना लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। चितरेश मोहन शर्मा उर्फ दीपक रावत (36) ने इस ठगी को 10 साल पूर्व बाकायदा 10 पोस्टपेड सिमकार्ड जारी करवाकर अंजाम दिया था। फर्जी कागजात के आधार पर सिम जारी करवाये गये थे। इसके बाद इन सभी नंबरों से विदेशों में आईएसडी कॉल की गई। कंपनी को जब इसका पता चला तो 2010 में मामला दर्ज करवाया गया। इसी साल अक्टूबर 2010 में दिल्ली की अदालत ने आरोपी को भगोड़ा घोषित किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसका दो दिन का रिमांड पुलिस को मिला है।

एडिशनल सीपी आरके सिंह के मुताबिक जनवरी 2010 में टेलीकॉम कंपनी की तरफ से पुलिस को एक शिकायत दी गई थी। कंपनी के अधिकारी ने बताया था कि खुद को एलए बेल्ला नामक कंपनी के मालिक बताने वाले दीपक रावत ने अपनी कंपनी के नाम से 10 पोस्टपेड सिम जारी करवाए। दीपक ने बताया कि उसकी कंपनी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है। आरोपी ने चंद ही दिनों में नेपाल वाया यूएस वाया मालदीव कॉल की। इसके बाद आरोपी ने कोई भुगतान भी नहीं किया। कंपनियों के अधिकारियों को जब धोखाधड़ी का पता चला तब तक आरोपी 1.76 करोड़ का चूना लगा चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की तो पता चला कि आरोपी ने फर्जी कागजात के आधार पर सभी सिमकार्ड जारी करवाये थे। दीपक रावत का असली नामक चितरेश पाया गया। मामला कोर्ट में जाने के बाद आरोपी को अक्टूबर 2017 में भगौड़ा घोषित किया गया। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश करती रही। काफी प्रयासों के बाद पुलिस को पता चला कि आरोपी जैतपुर, दिल्ली इलाके में छिपा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर मंगलवार को जैतपुर विस्तार पार्ट-1, बदरपुर इलाके से इसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 12वीं पास है। उसके खिलाफ हेराफेरी के दो मामले दर्ज हैं।

खास बातें

- अक्टूबर 2010 में आरोपी को किया गया था भगौड़ा घोषित
- आरोपी का अदालत से मिला दो दिन का रिमांड

अवैध हथियारों के साथ दो डीलर गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

- दो पिस्टल और 10 कारतूस बरामद

आउटर जिले के स्पेशल स्टाफ ने अवैध हथियारों के साथ दो कारोबारियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के नाम अजय यादव (36) और गुलशन (24) है। दोनों आरोपी सुल्तानपुरी के रहने वाले है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों आरोपी प्रापर्टी डीलर का काम करते है। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो पिस्टल और 10 कारतूस बरामद किए है।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपियों पर पहले से कोई मामला दर्ज नहीं है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस दो मामले सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। डीसीपी परविंदर सिंह ने बताया कि सोमवार को स्पेशल स्टाफ की टीम को गुप्त सूचना मिली कि दो आरोपी अवैध हथियार के साथ आने वाले है। सूचना मिलते ही एक टीम बनाई। टीम में एसआई नवीन मलिक, हेड कांस्टेबल प्रदीप, कांस्टेबल अमित व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहें। टीम ने गुप्त सूचना के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर पुलिस टीम को आरोपियों के पास से दो पिस्टल और 10 कारतूस बरामद हुए। आरोपियों की पहचान अजय और गुलशन के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सुल्तानपुरी थाने में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि व प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने का काम करते है। इलाके में प्रापर्टी डीलरों पर अपना दबदबा बढ़ाने के इरादे से वह अवैध हथियार रखते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों ने किस से हथियार खरीदे थे।

नवविवाहिता को पंखे से उल्टा लटकाने पर पुलिस ने दर्ज किया केस

नई दिल्ली। जगतपुरी थाना इलाके में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नवविवाहिता ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी न करने पर उसके ससुराल वालों ने उसे पंखे से उल्टा लटका दिया। आरोपियों का कहर यही नहीं रूका उन्होंने पीड़िता के साथ मारपीट के अलावा उसका खाना भी बंद कर दिया और फिर बाद में उसे घर से निकाल दिया। परेशान होकर पीड़िता ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर उसके पति भावनीत सिंह व अन्यों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, अमानत में खयानत समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

सब इंस्पेक्टर से लूटपाट करने वाले तीन दबोचे

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

- लूटा गया माल हुआ बरामद
- स्पेशल स्टाफ की कार्रवाई

राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद है। इसकी ताजा बानगी वसंत विहार में चार सितंबर को देखने को मिली थी जिसमें दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर से लूटपाट की गई थी। मामला महकमें से जुड़ा होने के कारण पुलिस तुरंत हरकत में आई और तीन दिन के भीतर ही तीन आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे 12 हजार रुपए कैश, वारदात में इस्तेमाल बाइक, लूटी गई रकम से खरीदा गया मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया गया है। इनके नाम मोहम्मद निकैल, प्रवेज आलम और रिद्म पारचा के तौर पर हुई। तीनों सेक्टर सात आरके पुरम इलाके के रहने वाले हैं। डीसीपी इंगित प्रताप सिंह के अनुसार बुद्ध विहार मुनिरका क्षेत्र में कुनाल कुमार रहते हैं। वह बिंदापुर थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। चार सितंबर की रात करीब साढ़े 10 बजे बाइक से घर जाते समय वसंत विहार इलाके में मलाई मंदिर रेड लाइट के पास तीन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया था।

बहन के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर चाकू से हमला किया

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

- पुलिस ने तीन नाबालिग समेत पांच लोगों को पकड़ा

राजपार्क थाना इलाके में हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में तीन नाबालिग भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहित (22) और बादल (19) है। दोनों आरोपी सुल्तानपुर के रहने वाले है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी मोहित को शक था कि पीड़ित राहुल उसकी बहन के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता था। इसी के चलते उसने उस पर हमला किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल दो चाकू बरामद किए है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। डीसीपी परविंदर सिंह ने बताया कि गत चार सितंबर शाम करीब 7:09 बजे पुलिस को एक युवक को चाकू मारने की सूचना मिली।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शिकायतकर्ता शिवा ने पुलिस को बताया कि वह और उसका दोस्त दूध का काम करते है। वह अपने दोस्त के साथ जेजे कॉलोनी कैंप-तीन, नांगलोई में दूध सप्लाई करके आ रहे थे। इसी दौरान चार युवक उनके पास आए और उन्होंने राहुल पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई जगह छापेमारी की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वारदात में इस्तेमाल तीनों नाबालिग गांव सुल्तानपुर, माजरा के पास आने वाले है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। बाद में पुलिस ने इनकी निशानदेही पर मोहित और बादल को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी पर दर्ज है सात मामले, चार में था भगौड़ा घोषित

प्रॉपर्टी के नाम पर ठगी करने वाला भगौड़ा डॉक्टर गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

नॉर्थ-वेस्ट जिले के स्पेशल स्टाफ ने प्रॉपर्टी के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक भगौड़े डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के नाम डॉ. मो. साबिर खान (58) है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी पर ठगी के सात मामले दर्ज है, जिसमें से चार मामलों में कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित किया हुआ है।

आरोपी दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएएमएस किए हुए है। वर्ष 2014 तक वह खानपुर इलाके में क्लीनिक चलाता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि मंगलवार को स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली कि एक डॉक्टर जो कई मामलों में भगौड़ा है, वह मोहन गार्डन इलाके में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही एक टीम की बनाई गई। टीम ने ए-तीन, ब्लॉक, मोहन गार्डन, उत्तम नगर में छापेमारी कर आरोपी को पकड़ लिया।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वर्ष 2015 में आरोपी ने एक विदेशी महिला को प्रॉपर्टी लीज पर दिलवाने के नाम ठगी की थी। इस मामले में साकेत थाने में मामला दर्ज है। दूसरा मामले में आरोपी जिस दुकान में अपनी क्लीनिक चलाता था। उस दुकान और बाकी दो दुकानों के फर्जी पेपर तैयार कर आरोपी ने खुद को मालिक करार दे दिया।

इस संबंध में नेब सराय थाने में मामला दर्ज हुआ। इसी तरह आरोपी ने कई अन्य लोगों को चूना लगाया।

विदेशी महिला से भी कर चुका है ठगी

पहले भी पकड़ा जा चुका है आरोपी

वर्ष 2014 के नेब सराय थाना पुलिस ने आरोपी को एक मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह जमानत पर रिहा हो गया। रिहा होने के बाद उसने फिर कभी कोर्ट का रुख नहीं किया। आरोपी का परिवार लाजपत नगर में रहता था, जबकि वह खुद मोहन गार्डन में छिपा हुआ था।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा
कौशल भवन, प्लाट नं0 आई.पी.-2, सैक्टर-3, पंचकूला
वैबसाईट www.itiharyana.gov.in Twitter: @Haryana ITIs

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2021-22 के लिए दाखिला नोटिस

हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2021-22 के लिए विभिन्न इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग व्यवसायों में दाखिले हेतु ऑनलाईन आवेदन विभागीय वैबसाईट www.itiharyanaadmissions.nic.in पर दिनांक 16.09.2021 से 30.09.2021 तक स्वीकार किए जाएंगे। दाखिला से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों के लिए विवरण पत्रिका, संस्थानों की सूची एवं दाखिले के लिए उपलब्ध संस्थानवार सीटों बारे सूचना उपरोक्त वैबसाईट पर उपलब्ध होगी। विभिन्न दाखिला चरणों हेतु मैरिट एवं सीट अलाटमैंट जारी होने के पूर्ण कार्यक्रम बारे सूचना दाखिला वैबसाईट पर दिनांक 25.09.2021 से उपलब्ध होंगी। प्रार्थियों से अनुरोध है कि वह दाखिला वैबसाईट का नियमित अवलोकन करते रहें। प्रार्थियों को शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण एवं स्थाई निवासी इत्यादि मूल-प्रमाण पत्रों की स्कैनड प्रतियां दाखिला फार्म के साथ ही आवश्यकतानुसार अपलोड करनी होंगी। दाखिले के इच्छुक प्रार्थियों के पास निजी ई-मेल आई.डी., निजी मोबाईल नम्बर, परिवार पहचान पत्र एवं आधार नम्बर होना अनिवार्य है तथा ऐसे प्रार्थी ही आवेदन के पात्र होंगे।

निदेशक

पीआरडीएच- 1065/11/15/2022/4619/88/7 दि. 08.09.21

फॉर्च्यून इंटरनेशनल लिमिटेड
CIN: L52324DL1981PLC012033
पंजी. कार्यालय : जी-4, कम्यूनिटी सेंटर, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028
Tel: 011-25774212-214, 25771629; Email id: rekha.srivastava2016@gmail.com

39वीं वार्षिक सामान्य बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम सूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार बिजनेस का सम्पादन करने के लिये फॉर्च्यून इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरधारकों की 39वीं वार्षिक सामान्य बैठक बृहस्पतिवार 30 सितम्बर 2021 को पूर्वा. 10.00 बजे अमराई फार्म्स, खसरा नं. 375, गांव कापसहेड़ा, निकट पुलिस चौकी, पुरानी दिल्ली-गुड़गांव रोड, कापसहेड़ा, नई दिल्ली-110037 में आयोजित की जाएगी।

सेबी अधिसूचना सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/ P/2020/79 और SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 12 मई 2020 और 15 जनवरी 2021 क्रमशः के अनुसार 39वीं एजीएम की सूचना और वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रोनिक प्रतियां शेयरधारकों को जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी के आरटीए, पूर्वा शेयर रजिस्टरी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के पास पंजीकृत हैं, को भेज दी गई हैं।

एजीएम के प्रयोजन हेतु कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शुक्रवार, 24 सितम्बर 2021 से बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर 2021 तक दोनों दिन मिलाकर बंद रहेंगे।

सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा एजीएम के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलैक्ट्रोनिक वोटिंग प्रणाली (दूरस्थ ई-वोटिंग) का उपयोग करते हुये 39वीं एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार सभी प्रस्तावों पर अपना मत देने की सुविधा प्रदान की गई है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :-

- 39वीं एजीएम सूचना में विनिर्दिष्टानुसार सामान्य बिजनेस का सम्पादन इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम से किया जा सकता है।
- दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा सोमवार 27 सितम्बर 2021 (पूर्वा. 9.00 बजे आईएसटी) से आरम्भ होगी और बुधवार 29 सितम्बर 2021 (अप. 5.00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि व समय के उपरांत दूरस्थ ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा मत देने की पात्रता निर्धारित करने के लिये कट ऑफ तिथि 23 सितम्बर 2021 है।
- कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जन करता है और वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी का सदस्य बनता है और कटऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर 2021 के अनुसार शेयरधारण करता है, evoting@nsdl.co.in पर एक आग्रह भेजकर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यद्यपि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के पास पहले से ही पंजीकृत है तो वह अपना मत देने के लिये अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
- सदस्य नोट करें कि :- (ए) एजीएम में मत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। (बी) जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम से पहले अपना मतदान कर दिया है वे एजीएम में भी उपस्थित हो सकते हैं किन्तु वे अपना मत पुनः देने के पात्र नहीं होंगे (सी) जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा मेनटेन किये गये लाभप्राप्तकर्ता मालिकों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि के अनुसार दर्ज है केवल वे ही दूरस्थ ई-वोटिंग के साथ-साथ मत पत्र के माध्यम से एजीएम में वोट देने की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
- 39वीं एजीएम की सूचना डाउनलोड करने हेतु कम्पनी और बीएसई की वेबसाइट www.fortuneinternational.in/www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
- किसी पूछताछ के सम्बन्ध में आप सदस्यों हेतु बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूस) और सदस्यों हेतु www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध के दूरस्थ ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोलफ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते फॉर्च्यून इंटरनेशनल लि.
हस्ता/-
निवेदन भारद्वाज
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00040191)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.09.2021

कैमैक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड
(CIN: L70109DL1980PLC169318)
पंजी. कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रैस बिल्डिंग, 9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Mobile No.: 7303495374, Email:camaccommercial@gmail.com
Website: www.camaccommercial.com

सूचना

1. एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 41वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") का आयोजन 41वीं एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्टानुसार सामान्य और विशेष बिजनेसेज का निष्पादन करने के लिये कम्पनी मामलों का मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य सरकुलर नं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 02/2021 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020 तथा 13 जनवरी 2021 क्रमशः ("एमसीए सरकुलर्स") के साथ पठित सेबी (लिस्टिंग आब्लीगेशंस एवं डिस्कलोजर आवश्यकताएं) नियमनों 2015 और उनके तहत बनाए गए नियमों तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूतियां विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सरकुलर नं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 और SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 12 मई 2020 और 15 जनवरी 2021 क्रमशः ("सेबी सरकुलर") के अनुपालन में वीडियो कांफ्रैंसिंग ("वीसी") सुविधा के माध्यम से किसी कॉमन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना बृहस्पतिवार 30 सितम्बर 2021 को पूर्वा. 10.15 बजे आईएसटी किया जाएगा।
2. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रोनिक प्रतियां उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल आईडी डिपॉजिटरीज / कम्पनी के पास 08 सितम्बर 2021 को या इससे पूर्व पंजीकृत हैं। यह संचार और 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना कम्पनी की वेबसाइट : www.camaccommercial.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट : https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों 2014, संशोधित अनुसार के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एवं डिसक्लोजर आवश्यकताएं) नियमनों 2015 के नियमन 44, तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों के संबंध में सचिवीय मानदण्ड के प्रावधानों के अनुपालन में :-
(i) 41वीं एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्टानुसार सामान्य और विशेष बिजनेस का निष्पादन इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा ;
(ii) दूरस्थ ई-वोटिंग के प्रारम्भ की तिथि व समय : 27 सितम्बर 2021 (पूर्वा. 9.00 बजे) ;
(iii) दूरस्थ ई-वोटिंग के समापन की तिथि व समय : 29 सितम्बर 2021 (अप. 5.00 बजे) ;
(iv) 41वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अथवा दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2021 है ;
(v) सदस्य ध्यान दें कि : ए) दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल उपरोक्त तिथि व समय के पश्चात् वोटिंग हेतु सीएसडीएल द्वारा अयोग्य कर दिया जाएगा और एक बार किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा मतदान कर दिया गया तो तदोपरांत इसे परिवर्तित करने की अनुमति सदस्य को नहीं दी जाएगी ; बी) जो सदस्य एजीएम से पूर्व दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना मत दे चुके हैं, वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना मत दोबारा देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा ; सी) एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य और जो दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना मत नहीं दे चुके थे, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना मतदान करने के लिये हकदार होंगे ; डी) कोई व्यक्ति जिसका नाम कटऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, को ही केवल एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा।
4. कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जन करता हैं और एजीएम सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर 2021 के अनुसार शेयरधारण करता है, एजीएम बुलाने की सूचना में प्रदान किये अनुसार ई-वोटिंग के लिये निम्नलिखित निर्देशों, जो कम्पनी और एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का पालन करते हुये अपना मतदान कर सकता है। यद्यपि, यदि कोई व्यक्ति दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु सीएसडीएल के पास पहले से ही पंजीकृत है तो मतदान करने के लिये मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
5. ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी पूछताछ के मामले में आप बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूएस) और www.evotingindia.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा evoting@csdl.com को एक ई-मेल भेज सकते हैं अथवा श्री राकेश दलवी, पदनाम : वरिष्ठ प्रबंधक : सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, पता : ए-विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर पैरेल (ईस्ट), मुम्बई 400013 अथवा helpdesk.evoting@csdlindia.com को एक ई-मेल भेजें अथवा 022-23058542/43 पर कॉल करें।
6. कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक्स 24 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे।

कृते कैमैक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड
हस्ता/-
मोनिषा सराफ
(निदेशक)

दिनांक : 08 सितम्बर 2021
स्थान : नई दिल्ली